

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

संयोजक : वन

अ.पी.वी. संख्या :
अ.पी.वी. संख्या : II

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगढ़, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoe@iolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./06/48/2015/एफ.सी./1365

दिनांक 02/2/16

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
वन अनुभाग, 6वां तल,
वायु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय : अलीगढ़ में पलवल-टप्पल-अलीगढ़ एसोएच0-22ए किमी0 62.5 की बांयी पटरी पर ग्राम-अरना के खसरा संख्या-203 पर विकसित किये जा रहे एरसार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.072 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 09 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- पी11/14-2-2016-800(114)/2015, दिनांक-22.01.2016

महोदय,

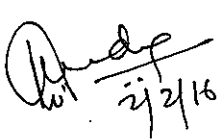
कृपया उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक पी0 63/14 2 2015 800(114)/2015, दिनांक 30.10.2015 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 03.12.2015 द्वारा अतिरिक्त सूचना वाही गयी थी जिसकी अनुपालना विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद अलीगढ़ में पलवल टप्पल अलीगढ़ एसोएच0 22ए किमी0 62.5 की बांयी पटरी पर ग्राम अरना के खसरा संख्या 203 पर विकसित किये जा रहे एरसार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.072 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 09 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

1. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5 3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी राशि निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या- एसोवी0 25230, कांपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली, लोधी कामपलेक्स, में जमा की जाएगी। जिसके उपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक/आर0टी0जी0एसो/एन0एफ0टी0 (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना संख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आर0 पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

3. प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वनवर्द्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में वृद्धि होती है तो वही हुई धनराशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा की जाएगी।


2/2/16

4. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी। पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की (269.76 वर्गमीटर) भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जाएगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर किया जाएगा।

उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। यावत् विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनग्रहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली 110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली 110003.
3. नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़, उ० प्र०।
6. क्षेत्रीय प्रबन्धक, एरसार ऑयल लि०, ए 5, सेक्टर 3, नोएडा, उ० प्र०।
7. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश प्रभावली

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}